कार्यालय कलेक्टर उमरिया एवं पदेन उप सचिव म.प्र. शासन राजस्व विभाग जिला उमरिया (म.प्र.)

क्रमांक /....AGL12/98-305/7/2020 उमरिया, दिनांक 17/12/2020

सार्वजनिक सूचना

चूँकि म.प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति के भूमि क्रय नीति अधिसूचना दिनांक 12.11.2014 एवं राजपत्र दिनांक 14.11.2014 के अंतर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिए समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम जल संसाधन विभाग उमरिया की घोघरी जलाशय योजना में ग्राम निमहा की भूमि की आवश्यकता है । इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमिस्वामी/भूमिस्वामीयो द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अंतर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "ख" में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है ।

क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कण्डिका 11(1) के अंतर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिए यह सूचना जारी की जा रही है । भूमि विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो यह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अघोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा ।

अर्जन किये जाने वाली भूमि का विवरण

जिला उमरिया, तहसील बिलासपुर ग्राम निमहा प.ह.नं. 11 निगहरी, रा.नि.मं. निगहरी ,क्षेत्रफल - 1.011हे.

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नंबर	रकवा हे.में	अर्जित रकवा	अन्य संपत्ति	अन्य संरचना
1	मुकेश महार पिता रामकिशोर महार ग्राम निमहा तहसील बिलसपुर जिला उमरिया	67/2	1.011 हे.	0.110 हे.	-	-
	योग	**01 किता**	**0.011 हे.**	**0.110 हे.**	-	-

कलेक्टर
जिला उमरिया (म.प्र.)